

बिहार सरकार
डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा समिति,
स्वास्थ्य विभाग (चि० शि०) बिहार सरकार,
कार्यालय - नालंदा मेडिकल कॉलेज परिसर, पटना-26
पत्रांक482

प्रेषक:

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार,
परीक्षा नियंत्रक,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
एन०पी० इन्स्टीच्यूट ऑफ फार्मेसी,
ग्राम-घाट कुसुम्भा रोड, कुण्डा पथरैया,
जिला-शेखपुरा

पटना, दिनांक 09/11/2021

विषय :-

एन०पी० इन्स्टीच्यूट ऑफ फार्मेसी, ग्राम-घाट कुसुम्भा रोड, कुण्डा पथरैया, जिला-शेखपुरा को सत्र 2020-21 के लिए PCI द्वारा 60 निर्धारित सीट क्षमता पर डी० फार्म पाठ्यक्रम संचालन हेतु Consent of affiliation निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:-

पत्रांक-NPI/2021/10/08 दिनांक-18/10/2021

महाशय

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि सचिव, एन०पी० इन्स्टीच्यूट ऑफ फार्मेसी, ग्राम-घाट कुसुम्भा रोड, कुण्डा पथरैया, जिला-शेखपुरा के पत्रांक-NPI/2021/10/08 दिनांक-18/10/2021 के द्वारा डी० फार्म पाठ्यक्रम संचालन हेतु Consent of affiliation प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

आपके प्रासंगिक पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि एन०पी० इन्स्टीच्यूट ऑफ फार्मेसी, ग्राम-घाट कुसुम्भा रोड, कुण्डा पथरैया, जिला-शेखपुरा को फार्मेसी कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से सत्र 2020-21 के लिए 60 निर्धारित सीट क्षमता पर मान्यता तथा बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-सं०सं०-17/एफ1-45/2020-398(17), दिनांक-12/04/2021 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की गई है।

फार्मेसी कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से 60 निर्धारित सीट क्षमता पर मान्यता एवं राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में सत्र 2020-21 के लिए 60 निर्धारित सीट क्षमता पर Consent of affiliation प्रदान किया जाता है।

विश्वासभाजन


डॉ० (प्रो०) संजय कुमार
परीक्षा नियंत्रक,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
